प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
फ़ौजदारी अपीलीय अधिकारिता

<u>फ़ौजदारी अपील सं. 1603/2019</u>
(वि.अनु.या.(फ़ौजदारी) सं. 9269/2019 से उत्पन्न)

श्री पी. चिदंबरम ....अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ....प्रत्यर्थी

के साथ

<u>फ़ौजदारी अपील सं. 1605/2019</u>
(वि.अनु.या.(फ़ौजदारी) सं. 9445/2019 से उत्पन्न)

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. आर. बानुमथी</u>

अनुमति प्रदानित।

2. यह अपीलें ज़मानत अर्ज़ी सं. 2270/2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 30.09.2019 को पारित आक्षेपित निर्णय से उद्भूत हैं, जिसमें और जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा दायर

मामले में भा.दं.सं. की धारा 120बी सहपठित भा.दं.सं. की धारा 420, धारा 8 तथा धारा 13(2) सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत ज़मानत देने से इंकार कर दिया था।

3. यह अपील आई.एन.एक्स. मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ़.आई.पी.बी.) द्वारा 4.62 करोड़ रुपए के स्वीकृत अन्तर्वाह के विपरीत लगभग 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को प्राप्त करने के लिए दी गई अनुमति में होने वाली अभिकथित अनियमितताओं से सम्बंधित है। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा कथित संक्षिप्त मामला निम्न प्रकार है:- 2007 में, आई.एन.एक्स. मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने **विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ़.आई.पी.बी.)** से निर्गत शेयर पूँजी में से 46.216 प्रतिशत तक एफ़.डी.आई. के

अनुमोदन की माँग करते हुए सम्पर्क किया। एफ़.आई.पी.बी. के सामने रखे जाने वाले प्रस्ताव को भेजते समय, आई.एन.एक्स. मीडिया ने उसमें स्पष्ट रूप से 4,62,16,000/- रू तक एफ़.डी.आई. के अन्तर्वाह के प्रस्तावित मुद्दे को उसके अंकित मूल्य पर लेते हुए उसका ज़िक्र किया था। वित्त मंत्री- अपीलार्थी का अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अध्यधीन एफ़.आई.पी.बी. ने अपनी 18.05.2007 की बैठक में आई.एन.एक्स. मीडिया के प्रस्ताव की संस्तुति की। बैठक में बोर्ड ने आई.एन.एक्स. मीडिया द्वारा आई.एन.एक्स. न्यूज़ में अनुप्रवाहित निवेश का अनुमोदन नहीं किया। आई.एन.एक्स. मीडिया ने एफ़.आई.पी.बी. की संस्तुति तथा अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन किया जैसे कि:- (i) आई.एन.एक्स. मीडिया ने विचारपूर्वक आई.एन.एक्स. न्यूज़ लिमिटेड

की पूँजी में 26% तक का अनुप्रवाहित निवेश बिना एफ़.आई.पी.बी. के विशिष्ट अनुमोदन, जिसमें उन्हीं विदेशी निवेशकों द्वारा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी शामिल थे; (ii) आई.एन.एक्स. मीडिया ने विदेशी निवेशकों को 800/- रुपये प्रति शेयर से अधिक प्रीमियम पर शेयर जारी कर आई.एन.एक्स. मीडिया में 305 करोड़ रूपए से अधिक एफ़.डी.आई. कमाए जो कि 4.62 करोड़ रूपए के स्वीकृत विदेशी प्रवाह में स्पष्ट उल्लंघन था।

4. आई.एन.एक्स. मीडिया द्वारा मैसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (ए.एस.सी.पी.एल.) को जारी 10,00,000/- रु की राशि के चैक के आधार पर शिकायत प्राप्त होने पर, आयकर विभाग के अन्वेषण विंग ने मामले की जाँच की तथा एफ़.आई.पी.बी. से

उपयुक्त जानकारी की माँग की गयी जिसके परिणामस्वरूप एफ़.आई.पी.बी. ने अपने दिनांक 26.05.2008 के पत्र द्वारा आई.एन.एक्स. मीडिया से स्पष्टीकरण माँगा जिसने अपने कार्यों को सही ठहराते हुए कहा कि अनुप्रवाहित निवेश को अनुमति मिल चुकी है तथा यह अनुप्रवाहित निवेश एफ़.आई.पी.बी. के अनुमोदन के अनुसार ही किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इस परिस्थिति से बिना किसी दंड के प्रावधान के निकलने के लिए आई.एन.एक्स. मीडिया ने श्री कार्ति चिदंबरम, प्रवर्तक निदेशक, चैस मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड तथा अपीलार्थी-भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ एक आपराधिक षड्यंत्र में भाग लिया। दिनांक 26.06.2008 के पत्र के माध्यम से आई.एन.एक्स.

मीडिया ने अपने कार्य को यह कह कर उचित साबित करने का प्रयास किया कि अनुप्रवाहित निवेश को अनुमति मिल चुकी है तथा इसे अनुमोदन के अनुसार ही किया गया था।

5. यह आरोप लगाया गया कि आई.एन.एक्स. मीडिया ग्रुप ने अपने अभिलेख में स्पष्ट रूप से ए.एस.सी.पी.एल. को ₹10,00,000/- के भुगतान का उद्देश्य "एफ़.आई.पी.बी. की अधिसूचना तथा स्पष्टीकरण के प्रबंधन के परामर्श का शुल्क" बताया है। प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि वित्त मंत्रालय के एफ़.आई.पी.बी. खंड के लोक सेवकों पर प्रभाव डाल कर मामले को खत्म करने में श्री कार्ति चिदंबरम द्वारा चैस मैनेजमेंट सर्विसेज़ के माध्यम से आई.एन.एक्स. मीडिया को दी गई सेवाओं के लिए ए.एस.सी.पी.एल. द्वारा आई.एन.एक्स. मीडिया के

नाम पर बनाए गए बिल पर भुगतान के रूप में प्रतिफल प्राप्त किए गए। यह भी आरोप लगाया गया है कि चैस मैनेजमेंट सर्विसेज़ के द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ए.एस.सी.पी.एल. के नाम पर इनवॉइस बनाने का कारण श्री कार्ति चिदंबरम की पहचान को छुपाना था। यह बताया गया कि श्री कार्ति चिदंबरम चैस मैनेजमेंट सर्विसेज़ के प्रवर्तक निदेशक थे जबकि ए.एस.सी.पी.एल. का संचालन वह अप्रत्यक्ष रूप से करते थे। यह आरोप लगाया है कि आई.एन.एक्स. मीडिया के पक्ष में लगभग 3.50 करोड़ रू की राशि के बिल अन्य कंपनियों द्वारा, जिनमें श्री कार्ति चिदंबरम की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थायी रुचि थी को गलत तरीके से बनाया गया था। यह आरोप लगाया है कि इस प्रकार के बिलों को मीडिया सामग्री के अधिग्रहण के सृजन, बाज़ार अनुसंधान

के सम्बन्ध में परामर्शी, ऑडियो-वीडियो आदि की विभिन्न शैली की सामग्री के अधिग्रहण के लिए गलत ढंग से बनाए गए थे। उपरोक्त कृताकृत से प्रथम दृष्टया अपराध के होने का आरोप लगाते हुए सी.बी.आई ने 15.05.2017 को आर.सी. सं. 220/2017-ई-0011 में भा.दं.सं. की धारा 120बी के साथ धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 तथा धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत अभियुक्त अर्थात् (i) निदेशक इन्द्राणी मुखर्जी के माध्यम से आई.एन.एक्स. मीडिया; (ii) निदेशक श्री प्रतिम मुखर्जी उर्फ़ पीटर मुखर्जी एवं अन्य के माध्यम से आई.एन.एक्स. न्यूज़; (iii) श्री कार्ति पी. चिदंबरम; (iv) निदेशक श्री कार्ति पी. चिदंबरम एवं अन्य के माध्यम से चैस मैनेजमेंट सर्विसेज़; (v) निदेशक सुश्री पद्मा विश्वनाथन

उर्फ़ पद्मा भास्करन एवं अन्य के माध्यम से एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग; (vi) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अज्ञात अधिकारी/कर्मचारी(गण); तथा (vii) अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आई.एन.एक्स. मीडिया को एफ़.आई.पी.बी. द्वारा 4.62 करोड़ रुपए के स्वीकृत एफ़.डी.आई. के विपरीत 305 करोड़ रुपए की विदेशी निधियों को प्राप्त करने के लिए दी गई अनुमति में होने वाली अभिकथित अनियमितताओं के लिए प्राथमिकी दर्ज की।

6. गिरफ़्तारी की आशंका से अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत की माँग करते हुए याचिका दायर की। 31.05.2018 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जो कि

20.08.2019 तक चली। 20.08.2019 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के अग्रिम ज़मानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अपीलार्थी के अग्रिम ज़मानत को अस्वीकृत करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा 21.08.2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वि.अनु.या.(फौ.) सं. 7525/2019 दायर की गई। इसी दौरान, अपीलार्थी को सी.बी.आई. द्वारा 21.08.2019 की रात को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से अपीलार्थी अभिरक्षा में है। चूंकि अपीलार्थी की गिरफ्तारी सी.बी.आई. मामले के संबंध में हुई थी, अपीलार्थी के वि.अनु.या., जो कि वि.अनु.या.(फौ.) सं. 7525/2019 थी, को निष्फल करार कर खारिज कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, वि.अनु.या.(फौ.) सं. 7525/2019 को इस

न्यायालय के 05.09.2019 के विस्तृत आदेश द्वारा अपीलार्थी को अग्रिम ज़मानत प्रदान करने से इंकार करते हुए खारिज किया गया था। वर्तमान मामले में, हमें केवल आर.सी. सं. 220/2017-ई-0011 में प्रत्यर्थी- सी.बी.आई. द्वारा दर्ज मामले से मतलब है।

7. उच्च न्यायालय ने अपने 30.09.2019 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी को नियमित ज़मानत प्रदान करने से इंकार किया और ज़मानत अर्ज़ी को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी- सी.बी.आई. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष तीन तर्क उठाए गए:- (i) फ़रार होने का खतरा; (ii) साक्ष्य के साथ छेड़छाड़; तथा (iii) साक्षीगण को प्रभावित करना। फ़ाज़िल एकल न्यायाधीश ने "फ़रार होने का खतरा" तथा "सबूतों के साथ छेड़छाड़" से सम्बंधित आपत्ति को स्वीकार नहीं

किया। जहाँ तक "फ़रार होने के खतरे" की आपत्ति का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी से फ़रार होने का खतरा नहीं है तथा यह माना गया कि कुछ निर्देश जारी करने से जैसे कि "पासपोर्ट का समर्पण", "लुकआउट नोटिस जारी करना" तथा ऐसे ही अन्य निर्देशों के माध्यम से "फ़रार होने के खतरे" को टाला जा सकता है। जहाँ तक "सबूतों के साथ छेड़छाड़" की आपत्ति का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले से सम्बंधित दस्तावेज़ात अभियोजन अभिकरण, भारत सरकार तथा न्यायालय की अभिरक्षा में हैं और इसलिए अपीलार्थी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। परन्तु तीसरे मुद्दे अर्थात् "साक्षीगण को प्रभावित करने" के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय ने यह माना कि जाँच

अग्रिम चरण में थी और अपीलार्थी द्वारा साक्षीगण को प्रभावित करने की सम्भावना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

8. अपीलार्थी ने आक्षेपित निर्णय, जिसके माध्यम से न्यायालय ने उसे साक्षीगण को प्रभावित करने की आशंका के आधार पर ज़मानत देने से इंकार कर दिया था, को चुनौती दी। जहाँ तक कि दो मुद्दों जैसे कि "फ़रार होने का खतरा" तथा "सबूतों से छेड़छाड़" पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष जो अपीलार्थी के पक्ष में था, उसमें सी.बी.आई. ने वि.अनु.या.(फौ.) सं. 9445/2019 दायर की है।

9. अपीलार्थी के वरिष्ठ फ़ाज़िल अधिवक्ता, श्री कपिल सिब्बल ने यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय से ज़मानत अर्ज़ी को केवल अपीलार्थी द्वारा साक्षीगण को प्रभावित करने की आशंका के आधार

पर खारिज करने में भूल हुई है तथा अपीलार्थी द्वारा साक्षीगण को प्रभावित करने की सम्भावना के सम्बन्ध में कोई सहायक तथ्य मौजूद नहीं है। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दोनों महत्वपूर्ण साक्षीगण (अभियुक्त) को अपीलार्थी और उसके बेटे के सम्बन्ध में जानकारी न देने के सम्बन्ध में संपर्क करने का संदर्भ किसी तथ्य द्वारा समर्थित नहीं है और उसमें महत्वपूर्ण विवरण का अभाव है तथा सीलशुदा कवर में दिए गए आरोपों को कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर विभिन्न रिमांड आवेदनों में किसी भी महत्वपूर्ण साक्षीगण (अभियुक्त) को अपीलार्थी और उसके बेटे के सम्बन्ध में जानकारी न देने के लिए संपर्क किए जाने का आरोप न लगाए जाने तथा उपरोक्त आरोप को

बाद में विचार करके एक सीलशुदा कवर में केवल अपीलार्थी की ज़मानत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए प्रस्तुत किए जाने की सराहना फ़ाज़िल एकल न्यायाधीश ने नहीं की। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि सी.बी.आई. ने अपीलार्थी को कई दिनों के लिए अभिरक्षा में लेने के बाद भी सी.बी.आई. द्वारा उससे केवल एक बार पूछताछ की गई।

10. फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ.ए.एम. सिंघवी ने यह प्रस्तुत किया कि "ज़मानत एक नियम है और जेल एक उपवाद" और उच्च न्यायालय द्वारा इस दृढ़ विचार पद्धति को ध्यान में नहीं रखा गया है। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को ज़मानत एक सीलशुदा कवर में जो दिया गया था उसके आधार पर

नहीं दी गयी थी और यह प्रस्तुत किया कि "सी.बी.आई. की आशंका-साक्षीगण को प्रभावित करने की सम्भावना" एक बाद का विचार है। *महेन्दर चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **2018 (15) स्केल 497** का सहारा लेते हुए फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि यदि अपीलार्थी ने वास्तव में साक्षीगण को प्रभावित करने के लिए उनसे संपर्क किया, तो अभियोजन पक्ष कदम उठा सकता था और *महेन्दर चावला* के मामले में निर्धारित *"साक्षीगण सुरक्षा योजना"* के अनुसार साक्षीगण की सुरक्षा की माँग कर सकता था। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अन्य सभी अभियुक्त ज़मानत पर हैं और अपीलार्थी को ज़मानत देने से इंकार करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अब

आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और उसमें सबूतों से छेड़छाड़ या साक्षीगण को डराने का आरोप मौजूद नहीं है परन्तु यह आरोप लगातार एकतरफ़ा अभिलिखित किए हुए और सीलशुदा कवर में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि केवल न्यायालय के मन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालने के लिए प्रस्तुत वस्तु के आधार पर लगाया जा रहा है।

11. जहाँ तक सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत प्रति अपील का सवाल है, अपीलार्थी के फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 20.08.2019 को उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अग्रिम ज़मानत को अस्वीकार किए जाने पर अपीलार्थी उसी दिन यानी 20.08.2019 को अत्यावश्यक सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा और

21.08.2019 को वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष मौखिक आवेदन पेश किया जिन्होंनें मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के बाद अत्यावश्यक सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और उसके पश्चात् मामले को 23.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया। फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 20.08.2019 और 21.08.2019 को अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ताओं के साथ परामर्श किया और मामले की वि.अनु.या. दायर करने की तैयारी की और उसके फ़रार होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद अपीलार्थी ने एक प्रैस कांफेरेंस को सम्बोधित किया और तत्पश्चात् अपने घर की ओर बढ़ा जहाँ से उसे गिरफ़्तार किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकार अपीलार्थी

ने अपने आपको छुपाने का या कानून की प्रक्रिया से बचने का प्रयास तक नहीं किया। यह तर्क पेश किया गया कि प्राथमिकी 2017 की है और तब से अपीलार्थी ने देश नहीं छोड़ा है बल्कि वह जाँच में शामिल हुआ और जाँच अभिकरण का सहयोग किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी का संसद का सदस्य तथा विधिज्ञ परिषद का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते "फ़रार होने के खतरे" का सवाल ही नहीं है तथा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दो मुद्दों अर्थात् "फ़रार होने का खतरा" और "सबूतों से छेड़छाड़" पर पक्ष लेकर सही किया।

12. फ़ाज़िल महा सालिसिटर श्री तुषार मेहता ने यह प्रस्तुत किया कि ज़मानत अर्ज़ी पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गंभीरता तथा दोषसिद्धि के डर से अभियुक्त के देश से भागने की

सम्भावना को ध्यान में रखना चाहिए और चूंकि कई आर्थिक अपराधी देश छोड़ कर भाग चुके हैं और देश को "आर्थिक अपराधियों के देश छोड़ कर भाग जाने" की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। यह प्रस्तुत किया गया कि दूसरे परीक्षण से यह पता करना होगा कि क्या अभियुक्त के पास देश छोड़ कर भाग जाने का साधन और विदेश में बसने का साधन और क्षमता है या नहीं। यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी- सी.बी.आई. के पास "साक्षी को प्रभावित किए जाने" की सिद्धि को लेकर स्पष्ट तथ्य हैं और आगे प्रभाव डालने की सम्भावना और साक्षी की भेद्यता से बचने के लिए उक्त साक्षी की पहचान और बयान को अभियुक्त से साझा नहीं किया जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त साक्षी के अपीलार्थी और उसके बेटे के सम्बन्ध में जानकारी

ना देने के लिए संपर्क किए जाने के बयान को उच्च न्यायालय के समक्ष एक सीलशुदा कवर में पेश किया गया उसके आधार पर उच्च न्यायालय ने "साक्षीगण को प्रभावित करने की सम्भावना" के आधार पर ज़मानत देने से इंकार कर सही किया। फ़ाज़िल महा सालिसिटर ने यह प्रस्तुत किया कि "साक्षी को प्रभावित करने की सम्भावना" केवल एक आशंका नहीं है बल्कि तथ्य पर आधारित है और साक्षीगण के प्रभावित होने का गंभीर खतरा है तथा अभियुक्त-अपीलार्थी का केवल मौजूद होना ही साक्षीगण को डराने के लिए काफ़ी है।

13. फ़ाज़िल महा सालिसिटर ने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.10.2019 को अपीलार्थी और उसके बेटे श्री कार्ति चिदंबरम एवं अन्य, जिनमें अधिकारीगण भी शामिल हैं, के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा

120बी सहपठित धारा 420 एवं धारा 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 9 एवं 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। यह प्रस्तुत किया गया कि आई.एन.एक्स. से सम्बंधित जाँच काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है और जाँच में यह सामने आया है कि और कंपनियाँ भी शामिल हैं और अन्य कंपनियों से सम्बंधित जाँच जारी है और यदि अपीलार्थी को इस स्तर पर ज़मानत दी जाती है तो आगे की जाँच पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः फ़ाज़िल महा सालिसिटर ने अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करने की तथा सी.बी.आई. द्वारा दायर अपील को अनुमति देने की प्रार्थना की।

14. हमने तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर रखे तथ्यों का अवलोकन किया है। विचार योग्य प्रश्न यह है कि जब "फ़रार होने का खतरा" तथा "सबूतों से छेड़छाड़" जैसे अन्य कारकों पर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया गया तो क्या उच्च न्यायालय का अपीलार्थी द्वारा साक्षीगण को प्रभावित करने की सम्भावना की आशंका के आधार पर अपीलार्थी की नियमित ज़मानत से इंकार करना न्यायोचित था।

15. अपीलार्थी के फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय में अपीलार्थी ने "प्रेस नोट" की प्रयोज्यता और एफ़.आई.पी.बी. तथा वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय की यथार्थता को प्रथम दृष्ट्या ज़मानत दिये जाने के उद्देश्य से और अपीलार्थी पर

लगे आरोपों को बेबुनियाद और गलत दर्शाने के लिए प्रस्तुति की। यह प्रस्तुत किया गया कि दोषारोपण और सुनवाई से पहले ही फ़ाज़िल एकल न्यायाधीश अपीलार्थी पर लगे आरोपों के गुणागुण में चले गए और गुणों के सम्बन्ध में केवल आरोपों के आधार पर निर्णायक निष्कर्ष दे दिए जिसके फलस्वरूप आसन्न मुक़द्दमे में अपीलार्थी और उसके बचाव पक्ष पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के बिलकुल विपरीत है। इस तर्क का समर्थन करते हुए फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता ने *निरंजन सिंह एवं अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे एवं अन्य* **(1980) 2 एस.सी.सी. 559** पर भरोसा किया है।

16. उक्त तर्कों का खंडन करते हुए, फ़ाज़िल महा सालिसिटर ने यह प्रस्तुत किया कि हालाँकि ज़मानत देने या खारिज करने के चरण में मामले के गुणागुण का विस्तृत परीक्षण आवश्यक नहीं है लेकिन न्यायालय को प्रथम दृष्टया ज़मानत देने या खारिज करने के निष्कर्ष के कारण बताने होते हैं। अपने तर्क का समर्थन करते हुए फ़ाज़िल महा सालिसिटर ने *कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन एवं अन्य* **(2004) 7 एस.सी.सी. 528** तथा *पूरण बनाम रामबिलास एवं अन्य* **(2001) 6 एस.सी.सी. 338** पर भरोसा किया है। यह तर्क किया गया कि फ़ाज़िल एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित जाँच परिणाम केवल ज़मानत न देने के प्रथम दृष्टया जाँच परिणाम हेतु अभिलिखित किया

गया है और तर्कों को मामले के गुणागुण पर चर्चा करते हुए नहीं बताया गया।

17. ज़मानत देने या इंकार करने के प्रथम दृष्टया कारणों की अभिव्यक्ति कानूनी आवश्यकता है विशेष रूप से तब जब ऐसे ज़मानत आदेश अपीलीय हों ताकि विचाराधीन मामले पर ध्यानपूर्वक विचार तथा निष्कर्ष के कारणों को दर्शाया जा सके। कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है क्योंकि अभियुक्त/अभियोजन/पीड़ित को ज़मानत देने या उससे इंकार करने के कारणों को जानने का पूरा हक़ है। इससे अपीलीय न्यायालय को ज़मानत देने या उससे इंकार करने के कारणों को समझने और उन पर विचार करने में सहायता होगी। परन्तु ज़मानत देने या इंकार करने में विवेक का उपयोग करने

का कारण देना मामले के गुणागुण अथवा दोष पर चर्चा करने से अलग है। ज़मानत प्रदान करने के चरण में, साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण और मामले के गुणागुण को देखते हुए विस्तृत कारण जिससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसको रोका जा सकता है। *निरंजन सिंह* में यह मानते हुए कि "ज़मानत प्रदान करने के चरण में, साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण और मामले के गुणागुण के विस्तृत प्रलेखन से बचना चाहिए" यह माना गया कि:-

> "3. ..... ज़मानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय साक्ष्य के विस्तृत परीक्षण और मामले के गुणागुण के विस्तृत प्रलेखन से बचना चाहिए। किसी भी पक्ष को यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रथम दृष्टया मामले से संतुष्ट होना आवश्यक है परन्तु यह आदेश में गुणागुण के सम्पूर्ण अन्वेषण के समान नहीं है।"

18. वर्तमान मामले में, आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद (51) से (70) अभियोजन मामले के गुणागुण के निष्कर्षों से संबंधित हैं। जैसे की पहले भी चर्चा की जा चुकी है, ज़मानत अर्ज़ी पर विचार करने के चरण में, अभियोजन मामले के गुणागुण और जिस सामग्री पर अभियोजन द्वारा भरोसा किया गया हो उसके गुणागुण के विस्तृत परीक्षण से बचना चाहिए। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुच्छेद (51) से (70) में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को ज़मानत से इंकार करने के उद्देश्य से राय की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे किसी प्रकार से मुक़द्दमे और अन्य कार्यवाहियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

19. अपीलार्थी के वरिष्ठ फ़ाज़िल अधिवक्ता ने हमें तिथियों और घटनाओं के माध्यम से बताया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के

मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम ज़मानत देने की अपील को खारिज किए जाने के बाद अपीलार्थी ने तुरंत प्रवर्तन निदेशालय के मामले में आत्मसमर्पण करने की माँग की; परन्तु प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और विभाग ने बाद में अपीलार्थी को 11.10.2019 को ही गिरफ्तार करने की माँग की और जाँच एजेंसियाँ अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रूप से यह कार्यवाहियाँ कर रही है कि अपीलार्थी को ज़मानत पर न छोड़ा जाए और वह हिरासत में लगातार दिन काटे|

20. अपीलार्थी के उक्त प्रतिवाद का खंडन करते हुए कि जाँच एजेंसियों- सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय अपीलार्थी की हिरासत को लंबा करने पर तुले हुए हैं, फ़ाज़िल सालिसिटर जनरल ने कहा कि

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 05.09.2019 को आपराधिक अपील सं. 1340/2019 में अग्रिम ज़मानत खारिज़ होने के बाद अपीलार्थी ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में 05.09.2019 को ही आत्मसमर्पण के लिए याचिका दायर की थी और प्रवर्तन निदेशालय ने अपीलार्थी के आत्मसमर्पण पर आपत्ति जताई थी| फ़ाज़िल सालिसिटर जनरल ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय साक्षीगण की जाँच और प्रासंगिक सामग्रियों को एकत्रित करने के पश्चात् ही प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अपीलार्थी को हिरासत में लेना चाहता था। यह बताया गया कि 06.09.2019 और 09.10.2019 के बीच बारह साक्षीगण की जाँच की गई थी और उसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 11.10.2019 को प्रवर्तन निदेशालय के मुक़द्दमे के सम्बन्ध में अपीलार्थी को हिरासत में लेने की

आज्ञा हेतु आवेदन दायर किया था और उसके बाद, अपीलार्थी की हिरासत सम्बन्धी पूछताछ के लिए आवेदन दायर किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय ने अपीलार्थी को पूछताछ के लिए सात दिनों के लिए हिरासत में ले लिया (17.10.2019 के आदेश द्वारा)। इसलिए यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के खिलाफ मुकद्मे में उनकी कार्यवाही के समय किसी भी मकसद के लिए जाँच एजेंसी चाहे सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय हो, को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

21. इस अपील में, सीबीआई के मामले में हमें केवल अपीलार्थी को ज़मानत देने के प्रश्न या अन्यथा से ही सम्बन्ध है| हमने अपीलार्थी के फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता और फ़ाज़िल सोलिसिटर जनरल के निवेदनों को सिर्फ उठाए गए तर्कों के क्रम को पूरा करने के लिए संदर्भित

किया है| चूँकि प्रवर्तन निदेशालय से सम्बंधित मामला, संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित है, हम प्रतिद्वंदी तर्कों के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं; नहीं तो उचित कार्यवाहियों में यह पक्षगण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

22. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से तय सिद्धांतों के आधार पर ज़मानत देने की अधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज़मानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-(i) दोषारोपण का प्रकार और दोषसिद्धि के मामले में सज़ा की कठोरता और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसे किए गए तथ्यों के प्रकार; (ii) साक्षीगण के साथ छेड़छाड़ करने की उचित आशंका अथवा

शिकायतकर्ता या साक्षीगण को धमकी की आशंका; (iii) विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति या उसके फरार होने की संभावना को सुरक्षित करने की उचित संभावना; (iv) चरित्र व्यवहार और अभियुक्त के खड़े होने और वे परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए अजीब हैं; (v) जनता या राज्य के बड़े हित और इसी तरह के अन्य विचार (प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और अन्य **(2001) 4 एस.सी.सी. 280**)| ज़मानत देने या देने से इनकार करने के बारे में कोई अडिग नियम नहीं है। प्रत्येक मामले पर विचार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर और इसके गुणागुण पर होना चाहिए| न्यायालय के विवेकाधिकार को विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए और न कि मनमाने ढंग से| इस चरण पर ही, यह इंगित करना

हमारे लिए आवश्यक है कि हम फ़ाज़िल सालिसिटर जनरल के इस प्रतिविरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि आर्थिक अपराधियों के "भाग जाने के जोखिम" को एक राष्ट्रीय घटना के रूप में देखा जाना चाहिए और उसी तरीके से निपटाया जाना चाहिए, केवल इसलिए क्योंकि कुछ अन्य अपराधी देश से बाहर भाग गए हैं। हमारे विचार में, इसे समान रूप से लागू करने वाले सिद्धांत के रूप में नहीं रखा जा सकता ताकि अन्य अपराधियों के आचरण के कारण जो न्यायालय के समक्ष हैं उन्हें ज़मानत से इनकार किया जा सके, यदि विचाराधीन व्यक्ति अपने मामले के गुणागुण के आधार पर ज़मानत का हकदार है| इसलिए, हमारी राय में ऐसा विचार जिसमें "भाग जाने का जोखिम" भी शामिल है, उसको इससे जुड़े मामलों से प्रभावित न होकर व्यक्तिगत

आधार पर किया जाना चाहिए खासतौर से, तब जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल हो|

23. कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन और अन्य (**2004) 7 एस.सी.सी. 528** मामले में निम्न बताया गया:-

> "**11** ज़मानत देने या इनकार करने के सम्बन्ध में कानून अच्छी तरह से निर्धारित है| ज़मानत देते समय न्यायालय अपने विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करेगा, न कि सामान्य रूप से| हाँलाकि ज़मानत देने के चरण पर साक्ष्य की विस्तृत जाँच और मामले के गुणागुण का विस्तृत प्रलेखीकरण लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के लिए कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि ज़मानत क्यों दी गई थी खासतौर से वहाँ जहाँ अभियुक्त को गंभीर अपराध करने के लिए आरोपित किया गया है| इस तरह के कारणों से रहित कोई भी आदेश से दिमाग का सही तरीके से नहीं चलना प्रभावित होगा| ज़मानत देते समय न्यायालय के लिए यह भी आवश्यक है कि अन्य परिस्थितियों के साथ, निम्न कारकों को भी ज़मानत देने से पहले विचार करे; वे हैं:-
>
> (क) दोषसिद्धि के मामले में आरोप का प्रकार और सजा की कठोरता और

सहायक साक्ष्य का प्रकार।

(ख) साक्षी के साथ छेड़छाड़ की यथोचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका।

(ग) आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि (राम गोविन्द उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 एस.सी.सी 598 और पूरन बनाम रामबिलास (2001) 6 एससीसी 338 देखें)

13 मामले में ज़मानत देने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को संदर्भित करते हुए निम्न बताया गया: -

> **"16.....**विचार जो सामान्यतः गैर-ज़मानती अपराधों में न्यायालय द्वारा ज़मानत देने में मूल्यांकन को इस न्यायालय द्वारा राज्य बनाम कैप्टन जगजीत सिंह *AIR 1962 SC 253 और गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)* (1978) 1 SCC 118 में समझाए गए हैं और मूल रूप से वे अपराध की प्रकृति और गंभीरता; साक्ष्य का चरित्र; परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के लिए अजीब हैं; मुकदमे में

अभियुक्त की उपस्थिति सुरक्षित नहीं होने की उचित संभावना; साक्षीगण के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका; जनता या राज्य का बड़ा हित और अन्य समान कारक जो मुकद्दमे के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक हो सकते हैं।....."

24. कल्याण चंद्र सरकार के पैरा 11 का उल्लेख करने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य, सीबीआई द्वारा बनाम अमरमणि त्रिपाठी **(2005) 8 SCC 21**, में निम्नानुसार कहा गया था:-

"**18**. यह भलीभांति से तय है कि ज़मानत के लिए एक आवेदन में विचार किए जाने वाले मामले हैं:- (i) कि क्या विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है; (ii) आरोप की प्रवृति और गंभीरता; (iii) दोषसिद्धि की दशा में सज़ा की कठोरता; (iv) आरोपी के फरार होने या भाग जाने का खतरा यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है; (v) चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और अभियुक्त का स्थिर रहना; (vi) अपराध को दोहराने की संभावना; (vii) साक्षीगण के साथ छेड़छाड़ होने की उचित आशंका; और (viii) बेशक, ज़मानत दिए जाने पर न्याय का व्यर्थ जाने देना [प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2001) 4 SCC 280 और गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1978) 1 SCC 118 देखें]। जबकि एक अस्पष्ट आरोप कि अभियुक्त

> सबूतों या साक्षीगण के साथ छेड़छाड़ कर सकता है को ज़मानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अभियुक्त ऐसे चरित्र का हो कि उसकी उपस्थिति बड़े पैमाने पर साक्षीगण को भयभीत करेगी या यदि दिखाने के लिए यह तथ्य हो कि वह न्याय को खत्म करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, तो ज़मानत को रद्द कर दिया जाएगा.....”

25. उपरोक्त निर्धारित सिद्धांतों के मद्देनज़र में, हम वर्तमान मामले पर प्रकाश डालते हैं| शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आक्षेपित फैसले में, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से आरोपों की प्रवृत्ति और मामले के गुणागुण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है; लेकिन उच्च न्यायालय ने ज़मानत देने या देने से इनकार करने के लिए निर्धारित सिद्धांतों को अच्छी तरह से ध्यान में नहीं रखा।

26. जैसाकि पहले भी चर्चा की जा चुकी है, जहाँ तक “भाग जाने का खतरा” और "साक्ष्य के साथ छेड़छाड़" 'का संबंध है, उच्च

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में फैसला किया कि अपीलार्थी के 'भाग जाने का खतरा' नहीं है अर्थात् "उसके भाग जाने की कोई संभावना नहीं है" उच्च न्यायालय ने उचित ढंग से निर्धारित किया कि कुछ निर्धारित निर्देश जैसे कि "पासपोर्ट का समर्पण" "लुकआउट नोटिस जारी करना" "भाग जाने का खतरा" को सुरक्षित किया जा सकता है। जहाँ तक "साक्ष्य से छेड़छाड़" का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि मामले से सम्बंधित दस्तावेज़ात अभियोजन प्रतिनिधित्व, भारत सरकार और न्यायालय की अभिरक्षा में हैं और अपीलार्थी की साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है|

27. फ़ाज़िल सालिसिटर जनरल ने कहा कि जब आरोपी गंभीर आरोपों का सामना कर रहा होता है और जब वह अपनी गिरफ्तारी की संभावना के संदेह का सामना करता है तो उसके "भागने का खतरा" होता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी के पास देश से भाग जाने के लिए साधन हैं और "भाग जाने के खतरे" के आधार पर अपीलार्थी को ज़मानत देने से इंकार करने की भी प्रार्थना की। हमें निवेदन में कोई गुणागुण नहीं मिला कि अपीलार्थी के "भाग जाने का खतरा" है और उसके फरार होने की संभावना है| 15.05.2017 को दर्ज प्राथमिकी में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को 31.05.2018 को अंतरिम संरक्षण दिया है और वह 20.08.2019 तक लागू था- जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अग्रिम ज़मानत की

याचिका खारिज की थी। 31.05.2018 और 20.08.2019 के दौरान जब अपीलार्थी के पास अंतरिम संरक्षण था, अपीलार्थी ने विदेश यात्रा की अनुमति लेने के लिए न ही कोई आवेदन दायर किया और न ही उससे पहले प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भागने का कोई प्रयास दिखाया| अपीलार्थी की ओर से यह कहा गया कि अपीलार्थी संसद का सदस्य और बार का एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उसकी समाज में मज़बूत पकड़ है और उनके पासपोर्ट का समर्पण कर दिया गया है और उनके खिलाफ “”लुक आउट नोटिस”” जारी किया है, उनके देश से भाग जाने की या उनके विचारण से फरार होने की कोई संभावना नहीं है| हम अपीलार्थी के फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता के निवेदन में गुणागुण पाते हैं कि अपीलार्थी के “भागे जाने का खतरा”

नहीं है; और तो, जब अपीलार्थी ने अपना पासपोर्ट समर्पण कर दिया हो और जब अपीलार्थी के खिलाफ 'लुकआउट नोटिस' जारी किया गया हो।

28. जहाँ तक साक्षीगण को प्रभावित करने की संभावना के आरोप का संबंध है, उच्च न्यायालय ने फ़ाज़िल सालिसिटर जनरल के तर्कों को संदर्भित किया है, जो "सीलशुदा कवर/लिफाफे" का भाग बताया गया है कि दो महत्वपूर्ण साक्षीगण को अभिकथित रूप से अपीलार्थी और उसके बेटे से सम्बंधित कोई भी जानकारी को न बताने के लिए उनसे संपर्क किया गया है और उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा साक्षीगण को प्रभावित करने की सम्भावना को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले

के पैरा (72) का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

> 72. "जैसा कि फ़ाज़िल सोलिसिटर जनरल ने तर्क किया कि (जो 'सीलशुदा कवर' का हिस्सा है, दो महत्वपूर्ण साक्षीगण (अभियुक्त) को अपीलार्थी और उसके बेटे (सह-अभियुक्त) के बारे में कोई भी जानकारी को न बताने के लिए उनसे संपर्क किया गया| यह न्यायालय इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सकता है कि याचिकाकर्ता एक मज़बूत वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में संसद के सदस्य हैं| वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं| वह लम्बे समय से एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में बार में हैं| उनकी भारतीय समाज में गहरी पकड़ है और विदेश से भी कुछ सम्बन्ध हो सकते हैं| परन्तु यह तथ्य कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगें, इसको तथ्यों की दृष्टि में झुठलाया नहीं जा सकता है| इसके अतिरिक्त, जाँच अग्रिम चरण में है, इसलिए, यह न्यायालय ज़मानत देने के लिए इच्छुक नहीं है|"

29. सीबीआई द्वारा 15.05.2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपीलार्थी को 31.05.2018 को 20.08.2019 तक अंतरिम संरक्षण दिया गया था। उस तारीख तक, अपीलार्थी या उसके व्यक्तियों पर

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी साक्षी को प्रभावित करने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया| रिमांड आवेदनों की संख्या में, कोई अफवाह नहीं थी कि किसी भी महत्वपूर्ण साक्षी से अपीलार्थी और उसके बेटे के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करने के लिए उनसे संपर्क किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ ज़मानत का विरोध करने के समय और सीबीआई द्वारा उच्च न्यायलय के समक्ष दाखिल प्रति शपथपत्र में प्रकथन दिए गए थे कि "... अपीलार्थी साक्षीगण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और यदि, उसे ज़मानत दी तो, वह साक्षीगण पर और भी दबाव डालेगा..." सीबीआई के पास अपीलार्थी के खिलाफ साक्षीगण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के आरोप के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं हैं।

जैसा कि अपीलार्थी के फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सही रूप से तर्क किया गया था कि उच्च न्यायलय के समक्ष कोई विशेष तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया था कि कब और कैसे उन दो साक्षीगण से संपर्क किया गया था| इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से या तो एसएमएस, ई-मेल, पत्र या फ़ोन से उन दो साक्षीगण से संपर्क किया गया और किस व्यक्ति द्वारा उस महत्वपूर्ण साक्षीगण से संपर्क किया गया| यह भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कब, कहाँ और कैसे उन साक्षीगण से संपर्क किया गया।

30. फ़ाज़िल सालिसिटर जनरल ने कहा कि साक्षी 'X' के बयान को, जिसे अपीलार्थी और उसके बेटे के बारे में किसी भी जानकारी का इंकशाफ नहीं करने के लिए संपर्क किया गया, दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 164 के तहत दर्ज किया गया जिसमें उक्त साक्षी 'X' ने यह बयान दिया कि उससे संपर्क किया गया था| दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत साक्षी 'X' का बयान 15.03.2018 को दर्ज़ किया गया था| मौजूदा प्रवृति के मामले में उक्त साक्षी को या अन्य साक्षीगण को अभिकथित तौर पर संपर्क करना, अपरिष्कृत और कमज़ोर साक्षी नहीं कहा जा सकता जिसको आसानी से प्रभावित किया जा सके; और तो और, जब आरोपों को दस्तावेज़ात पर आधारित कहा जाए| अतिविशेष रूप से, यह दिखाने के लिए कोई तथ्य नहीं है कि अपीलार्थी या उसके आदमी उक्त साक्षी को संपर्क कर रहे हैं ताकि साक्षी अपीलार्थी या उसके बेटे के खिलाफ गवाही न देने के लिए प्रभावित किया जा सके|

31. यह बताया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी-सीबीआई ने विभिन्न तिथियों

जैसे कि 22.08.2019, 26.08.2019, 30.08.2019, 02.09.2019, 05.09.2019 और 19.09.2019 इत्यादि पर अपीलार्थी की रिमांड की माँग करते हुए रिमांड आवेदनों को दायर किया। इन आवेदनों में, कोई आरोप नहीं थे कि अपीलार्थी साक्षीगण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और यह कि कोई महत्वपूर्ण साक्षीगण (अभियुक्त) को अपीलार्थी और उसके बेटे के बारे में जानकारी का खुलासा न करने के लिए संपर्क किया गया| किसी भी समकालीन तथ्यों के अभाव में, इस आरोप से कुछ और नहीं जोड़ा जा सकता है कि अपीलार्थी साक्षीगण से संपर्क करके साक्षीगण को प्रभावित कर रहा है। फ़ाज़िल एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष "... कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्षीगण को प्रभावित नहीं

करेगा.... " की किसी भी तथ्यों द्वारा पुष्टि नहीं की जाती और यह केवल एक सामान्य आशंका है और काल्पनिक सी प्रतीत होती है| मात्र प्रकथन कि अपीलार्थी ने साक्षीगण को संपर्क किया और यह दावा कि बिना किसी तथ्य के आधार पर अपीलार्थी साक्षीगण पर आगे दबाव डालेगा को अपीलार्थी को नियमित ज़मानत देने से इनकार किए जाने का कारण नहीं हो सकता है; और अधिक, जब अपीलार्थी लगभग दो महीनों से हिरासत में है, जाँच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और आरोप पत्र भी दायर किया गया है|

32. अपीलार्थी के "भागे जाने का जोखिम" नहीं है और अधिरोपित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, विचारण से उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है| अभियोजन पक्ष का बयान कि अपीलार्थी ने साक्षीगण

को प्रभावित किया है और आगे उसके साक्षीगण को प्रभावित करने की संभावना को अपीलार्थी को ज़मानत से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता विशेषकर, तब जब अभियोजन द्वारा दायर किए गए छह रिमांड के आवेदनों में ऐसी कोई आशंका नहीं है| अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ 18.10.2019 को आरोप पत्र दायर किया गया है। अपीलार्थी 21.08.2019 से लगभग दो महीनों से हिरासत में है। सह-अभियुक्तों को पहले ही ज़मानत दे दी गई थी। अपीलार्थी को 74 वर्ष की आयु का बताया जाता है और उसे उम्र के साथ की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित भी कहा जाता है| उपरोक्त कारकों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह विचार है कि अपीलार्थी ज़मानत को पाने का हकदार है|

33. निष्कर्ष में, 30.09.2019 की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत आवेदन संख्या 2270/2019 में पारित आक्षेपित निर्णय को अलग रखा गया है और विशेष अनुमति याचिका संख्या (आपराधिक) 9269/2019 से उत्पन्न अपील स्वीकृत की जाती है। अपीलार्थी को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सीबीआई-06, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली की संतुष्टि पर अपीलार्थी द्वारा 1,00,000/- रू के ज़मानती मुचलकों को उसी समान राशि के दो प्रतिभू को निष्पादित करने के अध्यधीन ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है तो| पासपोर्ट यदि पहले से जमा नहीं किया गया है, तो विशेष न्यायालय में जमा किया जाएगा और अपीलार्थी विशेष न्यायालय की अनुमति के

बिना देश छोड़ कर नहीं जाएगा और उस आदेश के अध्यधीन जैसे कि विशेष न्यायालय समय-समय पर जारी करे| अपीलार्थी जब भी आवश्यक हो पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा| परिणामस्वरूप, वि.अनु.या.(फौ.) सं. 9445/2019 से उत्पन्न सीबीआई द्वारा दाखिल अपील को खारिज़ किया जाता है| चूँकि, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में मामले के गुणागुण पर अपने विचार व्यक्त किए, आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय के निष्कर्षो का विचारण या किसी अन्य कार्यवाही में कोई असर नहीं होगा| यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के निष्कर्षों को केवल सीबीआई मामले में नियमित ज़मानत पर विचार करने के सीमित उद्देश्य के लिए राय की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाएगा और किसी अन्य कार्यवाही में इसका कोई असर

नहीं पड़ेगा।

.....न्या.
[आर. बानुमथी]

.....न्या.
[ए. एस. बोपन्ना]

.....न्या.
[ऋषिकेश रॉय]

नई दिल्ली;
22 अक्टूबर, 2019

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*